शेडर

8-5-2019

पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादीगण सं० 1 से 3 अनुपस्थित उनकी तरफ से कोई भी अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादीगणों को तीन बार आवाज लगवाई गई फिर भी अनुपस्थित रहे।

प्रतिवादीगण पूर्व से ही बाद तामील अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादीगण सं० 1 से 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई

-: निरन्तर :-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए

जाती है। प्रार्थना पत्र पर उभय तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है एवं उसका उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act. के तहत न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं उभय तरफा बहस पर मनन कर यह आदेश किया जाता है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के खाते की वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त भूमि में न तो करावें। वादग्रस्त भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार का अवैध निर्माण करें न ही किसी अन्य से करावें। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फौजदार कुमार होकर नम्बर से कम होवें तथा मूल वाद पत्र के साथ नत्थी रहे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)